

## पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

## मांग संख्या 22

## पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(₹करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1867.69	120.31	1988.00	2292.80	767.20	3060.00	2026.30	683.70	2710.00	2330.14	768.59	3098.73
वसूलियां	-0.58	-26.80	-27.38	...	-60.00	-60.00	...	-40.00	-40.00	...	-50.00	-50.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	1867.11	93.51	1960.62	2292.80	707.20	3000.00	2026.30	643.70	2670.00	2330.14	718.59	3048.73

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

## केंद्र का व्यय

## केन्द्र का स्थापना व्यय

## 1. सचिवालय

14.19	...	14.19	15.80	...	15.80	15.80	...	15.80	17.08	...	17.08
-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

## केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं

## पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें

369.30	9.17	378.47	500.18	80.00	580.18	359.68	25.00	384.68	526.18	80.00	606.18
--------	------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

## 2. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें

-0.58	...	-0.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
-------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

368.72	9.17	377.89	500.18	80.00	580.18	359.68	25.00	384.68	526.18	80.00	606.18
--------	------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

## 3. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें-विशेष विकास परियोजनाएं

428.25	...	428.25	305.00	...	305.00	305.00	...	305.00	263.72	...	263.72
--------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	--------

796.97	9.17	806.14	805.18	80.00	885.18	664.68	25.00	689.68	789.90	80.00	869.90
--------	------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

## जोड़-पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें

पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	449.63	76.34	525.97	390.00	141.10	531.10	379.19	197.03	576.22	407.16	144.59	551.75
--	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## 4. पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल

5. पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)	93.94	...	93.94	644.65	...	644.65	549.60	...	549.60	620.00	...	620.00
---	-------	-----	-------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	--------

## 5.01 एनईएसआईडीएस कार्यक्रम

5.02 पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	93.94	...	93.94	50.00	...	50.00	8.50	...	8.50	54.00	...	54.00
-------------------------------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	------	-----	------	-------	-----	-------

## जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)

93.94	...	93.94	694.65	...	694.65	558.10	...	558.10	674.00	...	674.00
-------	-----	-------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	--------

## 6. परामर्शी, मानीटरिंग, मूल्यांकन-एनएलसीपीआर स्कीम के तहत प्रभार

0.58	...	0.58	2.00	...	2.00	1.02	...	1.02	...	...	...
------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	-----	-----	-----

## जोड़-पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल

544.15	76.34	620.49	1086.65	141.10	1227.75	938.31	197.03	1135.34	1081.16	144.59	1225.75
--------	-------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	---------

## आजीविका, कौशल एवं क्षमता निर्माण

7. पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका (ईएपी) परियोजना (एनईआरएपी)	90.00	...	90.00	38.00	...	38.00	25.18	...	25.18	...	...
--	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-----	-----

## पूर्वोत्तर सड़क परियोजनाएं

8. पूर्वोत्तर राज्य सड़क पीएमपू (एडीवी से सहायता प्राप्त)	90.00	...	90.00	38.00	...	38.00	25.18	...	25.18	...	...
---	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-----	-----

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़
8.01 परियोजना प्रबंधन इकाई	0.41	...	0.41	1.00	...	1.00	0.30	...	0.30	1.00	...	1.00
9. आर्थिक महत्व वाली सड़कों का निर्माण/सुधार	...	5.00	5.00	...	50.00	50.00	...	5.57	5.57	...	...	...
10. उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम												
10.01 कार्यक्रम घटक	...	1.00	1.00	...	400.00	400.00	...	350.00	350.00	...	460.00	460.00
10.02 ईएपी घटक	369.76	...	369.76	266.17	...	266.17	311.92	...	311.92	340.00	...	340.00
जोड़- उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम	369.76	1.00	370.76	266.17	400.00	666.17	311.92	350.00	661.92	340.00	460.00	800.00
<b>जोड़-पूर्वोत्तर सड़क परियोजनाएं</b>	<b>370.17</b>	<b>6.00</b>	<b>376.17</b>	<b>267.17</b>	<b>450.00</b>	<b>717.17</b>	<b>312.22</b>	<b>355.57</b>	<b>667.79</b>	<b>341.00</b>	<b>460.00</b>	<b>801.00</b>
<b>विशेष विकास ऐकेज</b>												
11. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद	...	...	...	20.00	...	20.00	4.00	...	4.00	10.00	...	10.00
12. कार्बो आंगलांग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद	39.63	...	39.63	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	57.00	...	57.00
13. दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद	12.00	...	12.00	20.00	...	20.00	26.11	...	26.11	34.00	...	34.00
<b>जोड़-विशेष विकास ऐकेज</b>	<b>51.63</b>	...	<b>51.63</b>	<b>80.00</b>	...	<b>80.00</b>	<b>70.11</b>	...	<b>70.11</b>	<b>101.00</b>	...	<b>101.00</b>
14. उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम को ऋण	...	...	...	...	30.00	30.00	...	60.00	60.00	...	30.00	30.00
15. सामाजिक और अवसंरचनागत विकास निधि	...	26.80	26.80	...	60.00	60.00	...	40.00	40.00	...	50.00	50.00
	...	-26.80	-26.80	...	-60.00	-60.00	...	-40.00	-40.00	...	-50.00	-50.00
				...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>1852.92</b>	<b>91.51</b>	<b>1944.43</b>	<b>2277.00</b>	<b>701.10</b>	<b>2978.10</b>	<b>2010.50</b>	<b>637.60</b>	<b>2648.10</b>	<b>2313.06</b>	<b>714.59</b>	<b>3027.65</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
16. उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम	...	...	...	...	4.10	4.10	...	4.10	4.10	...	2.00	2.00
17. उत्तर पूर्व हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	<b>...</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	...	<b>6.10</b>	<b>6.10</b>	...	<b>6.10</b>	<b>6.10</b>	...	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>...</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	...	<b>6.10</b>	<b>6.10</b>	...	<b>6.10</b>	<b>6.10</b>	...	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1867.11</b>	<b>93.51</b>	<b>1960.62</b>	<b>2292.80</b>	<b>707.20</b>	<b>3000.00</b>	<b>2026.30</b>	<b>643.70</b>	<b>2670.00</b>	<b>2330.14</b>	<b>718.59</b>	<b>3048.73</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	14.19	...	14.19	15.80	...	15.80	15.80	...	15.80	17.08	...	17.08
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	16.72	...	16.72	20.77	...	20.77	18.87	...	18.87	23.60	...	23.60
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>30.91</b>	...	<b>30.91</b>	<b>36.57</b>	...	<b>36.57</b>	<b>34.67</b>	...	<b>34.67</b>	<b>40.68</b>	...	<b>40.68</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
3. ग्राम और लघु उद्योग के नियंत्रण	...	2.00	2.00	...	6.10	6.10	...	6.10	6.10	...	4.00	4.00
4. उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	...	...	...	...	30.00	30.00	...	60.00	60.00	...	30.00	30.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	...	2.00	2.00	...	36.10	36.10	...	66.10	66.10	...	34.00	34.00
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	536.93	...	536.93	1165.06	...	1165.06	916.91	...	916.91	1123.58	...	1123.58
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1299.27	...	1299.27	1091.17	...	1091.17	1074.72	...	1074.72	1165.88	...	1165.88
7. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	91.51	91.51	...	671.10	671.10	...	577.60	577.60	...	684.59	684.59
जोड़-अन्य	1836.20	91.51	1927.71	2256.23	671.10	2927.33	1991.63	577.60	2569.23	2289.46	684.59	2974.05
कुल जोड़	1867.11	93.51	1960.62	2292.80	707.20	3000.00	2026.30	643.70	2670.00	2330.14	718.59	3048.73

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि0	...	...	...	4.10	...	4.10	4.10	...	4.10	2.00	...	2.00
2. पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प निगम विकास लि0	2.00	...	2.00	2.00	0.78	2.78	2.00	...	2.00	2.00	1.00	3.00
जोड़	2.00	...	2.00	6.10	0.78	6.88	6.10	...	6.10	4.00	1.00	5.00

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान।2. **पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों:** ये स्कीमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करती हैं। इनका उद्देश्य अन्य के साथ-साथ महत्वपूर्ण अंतर पाटने की जरूरत वाले क्षेत्रों को शामिल करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास करना है। इस प्रावधान में पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग के सचिवालय का भी व्यय शामिल है।3. **पूर्वोत्तर परिषद की स्कीम-विशेष विकास परियोजनाएं:** एनईसी पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को बांस, सुअर पालन, क्षेत्रीय पर्यटन, उच्च शिक्षा, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, टेलीमेडिसिन, तथा पूर्वोत्तर में विजान एवं तकनीकी हस्तक्षेप आदि जैसे क्षेत्रों के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है।4. **पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल:** केंद्रीय अव्ययपत्र संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) का व्यापक उद्देश्य इस क्षेत्र में वित्तीय अवधारणा अवसंरचनागत परियोजनाओं/स्कीमों के लिए बजटीय वित्तपोषण के प्रवाह को बढ़ाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में अवसंरचना के त्वरित विकास को सुनिश्चित करना है। यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को 10% आवश्यक ईयरमार्किंग के माध्यम से उनके द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं/स्कीमों तथा क्षेत्रीय तथा/या एनईआर में राष्ट्रीय वरीयता वाली स्कीमों को नियितन प्रदान करने में भी सक्षम बनाता है। इन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का प्रावधान है।5.01. **पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस):** इस प्रावधान में उत्तर पूर्वी विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) शामिल है, जिसे दो क्षेत्रों अर्थात् (i) जल आपूर्ति, विद्युत, संपर्क एवं विशेष कर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं; (ii) शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सामाजिक क्षेत्रों में अवसंरचना के मृजन में अंतर को पाटने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 15.12.2017 को अनुमोदित किया गया है।5.02. **पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान मणिपुर के पिछ्ले जिले तामोंगलांग के विकास हेतु भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना के संवर्धन के लिए पायलट आधार पर किया गया है।7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका (ईपी) परियोजना (एनईआरएलपी):** उत्तर पूर्वी ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी) पूर्वोत्तर क्षेत्र की ग्रामीण आवादी की रोजगार की जरूरतों, आय एवं प्राकृतिक संसाधन संवर्हनीयता को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस परियोजना को विश्व बैंक के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। यह परियोजना 30.09.2019 को समाप्त हो गई है।8. **पूर्वोत्तर राज्य सङ्करण पीएमयू (एडीबी से सहायता प्राप्त):** यह प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) के व्यय को पूरा करने के लिए है जो एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र सङ्करण परियोजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाएगा।

10.01. **कार्यक्रम घटक:** उत्तर पूर्वी सड़क क्षेत्र विकास स्थीम (एनईआरएसडीएस) पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपेक्षित अंतर्राज्यीय सड़कों की पुनर्व्याप्ति/निर्माण/उन्नयन के लिए है।

10.02. **ई-एपी घटक:** एथियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त उत्तर पूर्वी राज्य सड़क विकास कार्यक्रम (नेसरिप) परियोजना का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए किया गया है।

11. **बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

12. **कार्बी आंगलांग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

13. **दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

14. **उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम को ऋण:** उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लि. (नेडफी) को गुवाहाटी स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय के साथ 9 अगस्त 1995 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में निर्गमित किया गया था। नेडफी का उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल व्यवहार्य औद्योगिक अवसंरचनागत एवं कृषि-बागवानी परियोजनाओं की पहचान, वित्तीय सहायता और पोषण द्वारा इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। इसका प्रावधान नेडफी को दीर्घकालिक सरल ऋण प्रदान करने के लिए किया गया है।

15. **सामाजिक और अवसंरचनागत विकास निधि:** यह एक विशेष निधि है जिसके माध्यम से अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में अवसंरचनागत सुविधाओं का निर्माण एवं उन्नयन किया जाता है।

16. **उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम:** उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (तेरामेक) केन्द्र का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि एवं बागवानी उत्पादों के खाद्य प्रसंस्करण एवं व्यापार को संचालित करता है। इसका प्रावधान इसके व्यापार क्रियाकलापों के लिए निगम द्वारा कार्यशील पूँजी उपयोग करने के लिए किया गया है।

17. **उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरचा विकास निगम लि.:** उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरचा विकास निगम (एनईएचडीसी) को मार्च 1977 में इस क्षेत्र के उत्पादों तथा डिजाइन विकास, प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा तैयार उत्पादों के विपणन के लिए विकासात्मक एवं प्रोत्साहन संबंधी आदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। मंत्रालय प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि जैसे संवर्द्धनात्मक क्रियाकलापों में होने वाली नकदी हानि की भरपाई के लिए एनईएचडीसी को ऋण मुहैया कराता है।